न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 627–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 22–11–13 पारित अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 536/अ–63/12–13 अपील.

सुमरन पिता चमरा
नि0 ग्राम चटरा, तह0 नारायणगंज,
जिला मण्डला, मं0प्र0 ---- आवेदक

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन ---- अनावेदक

श्री ए0के0 गौतम, अभिभाषक – आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 06 अगस्त, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 536/अ–63/12–13 में पारित आदेश दिनांक 22–11–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ने अपने स्वामित्व की भूमि पर खड़े सागौन प्रजाति के वृक्ष को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाये जाने हेतु आवेदनपत्र तहसीलदार, नारायणगंज के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में आदेश पारित नहीं होने से आवेदक व्दारा भूमि पर लगे वृक्षों की कटाई की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक व्दारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये सागौन के वृक्ष काटे जाने से आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र दिया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02–04–12 व्दारा

बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सागौन वृक्ष काटे जाने से आवेदक पर रू. पॉच हजार अर्थदण्ड आरोपित किया और वृक्ष राजसाल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपीले कलेक्टर, मण्डला एवं अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग ने अपने आदेश दिनांक कमशः 24–11–12 एवं 22–11–13 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदक के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर लगे वृक्षों से आवेदक को कृषि करने में असुविधा होने से वृक्ष काटने की अनुमति हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु 3 माह का समय व्यतीत हो जाने पर भी आवेदनपत्र पर तहसीलदार व्दारा कोई कार्यवाही करने से यह मानते हुए कि वृक्ष काटने पर कोई आपत्ति नहीं है, आवेदक द्वारा वृक्षों की कटाई की गयी। वृक्ष आवेदक की भूमि पर लगे थे, इसलिये आवेदक की सम्पत्ति थी। अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा वृक्षों को राजसात करने के आदेश दिये गये हैं, जो त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क है कि बिना अनुमति वृक्ष काटने पर आवेदक पर धारा 253 के प्रावधानों के तहत मात्र अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिये था, वृक्ष राजसात करने के आदेश देने में त्रुटि की गयी है। अतः उन्होंने इस हद तक निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक व्दारा अपने स्वत्व की भूमि पर खड़े सागौन के वृक्षों को काटने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया, किन्तु आवेदन पर कोई आदेश नहीं होने से बिना अनुमति के ही आवेदक व्दारा वृक्ष काटे गये हैं जो संहिता की धारा 240/241 के नियमों का उल्लंघन है। राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में वृक्षों से भूमिस्वामी को कृषि कार्य करने में बाधा पड़ती थी, यह अंकित है।

आवेदक व्दारा काटे गये वृक्ष उसके स्वयं के खाते की भूमि पर स्थित थे तथा आवेदक व्दारा वृक्ष काटने की अनुमति हेतु आवेदनपत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था और वृक्षों से कृषि कार्य में बाधा आने से आवेदक व्दारा बिना अनुमति वृक्ष काटे गये हैं, इसलिये आवेदक पर संहिता की धारा 253 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने के साथ ही काटे गये वृक्षों को राजसात करने के आदेश देने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटि की है क्योंकि आवेदक की दोषपूर्ण मंशा नहीं थी और उसके व्दारा कानून की अज्ञानता के कारण आवेदन पर 3 माह तक आदेश नहीं होने से वृक्ष काटने की अनुमति मानकर वृक्ष काटे गये हैं। अपीलीय न्यायालयों व्दारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22–11–13, कलेक्टर का आदेश दिनांक 24–11–12 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 02–04–12 उक्त कण्डिका में निकाले गये निष्कर्षानुसार आंशिक रूप से निरस्त/संशोधित किये जाते हैं और आवेदक व्दारा काटी गयी लकड़ी उसके स्वयं के खाते की होने तथा आवेदक की दोषी मंशा नहीं होने से राजसात करने के आदेश निरस्त किये जाते हैं। लकड़ी आवेदक को वापस की जाय जिससे आवेदक/कृषक उसका शासकीय वन डिपों में विकय कर सके।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,